



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email: jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291 2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: एफ.37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/403

दिनांक:- 10/07/23

## —:कार्यवाही विवरण:—

जोन-1, व जोन-4 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 05/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	जोन	प्रकरणों का विवरण	निर्णय
1.	जोन-1	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 12.04.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
2.	जोन-1	राजस्व ग्राम उच्चियारडा के खसरा संख्या 67/5 व 69/4 के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 3977.54 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।  आवेदक:- श्री लक्ष्मीचन्द्र पुत्र श्री फुसाराम, श्री हनुमानराम पुत्र श्री दीपाराम, श्रीमती सरोज पत्नी श्री लक्ष्मीचन्द्र, श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री हनुमानराम  भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 05/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया - 01. भवन मानचित्र अनुज्ञा की अवधि पट्टा विलेख जारी किए जाने की दिनांक से 07 वर्ष अर्थात् दिनांक 31.08.2029 होगी। 02. प्रार्थी द्वारा सडक मार्गाधिकार पर निर्मित चार दीवारी को हटाये जाने के उपरान्त ही भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की जाएंगी। 03. प्रस्तावित पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम-2020 के अनुसार आवेदक से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग ली जावे। 04. विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावे। 05. भवन में N.B.C. के अनुसार आकाशीय विजली से बचाव हेतु प्रावधान किया जावे एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जावे। 06. भवन विनियम-2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावे।


			<p>07. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे, इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>08. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम-2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>09. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नवि/2020 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति ली जावे।</p> <p>10. नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्य स्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank. Branch C-scheme. IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>11. नियमानुसार अन्य समस्त देय शुल्क लिये जावे। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावे।</p>
3.	जोन-1	<p>राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 134/77, 136/77 नया नं. 139/77 व 140/77 के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 16577.52 वर्गमीटर पर भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।</p> <p>आवेदक:- गायत्री टेक्टिकल एज्युकेशन ट्रस्ट जोधपुर</p> <p>भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 05/2023 वी बैठक दिनांक 06.07.2023</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया -</p> <p>01. भवन मानचित्र अनुज्ञा की अवधि पट्टा विलेख जारी किए जाने की दिनांक से 07 वर्ष अर्थात् दिनांक 31.08.2029 होगी।</p> <p>02. प्रस्तावित पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम-2020 के अनुसार आवेदक से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग ली जावे।</p> <p>03. विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावे।</p>



			<p>04. भूखण्ड का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियम-2020 के प्रावधान संख्या 10.11.2 के अनुसार भूखण्ड पर प्रावधान किये जावें। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें।</p> <p>05. भवन में N.B.C. के अनुसार आकाशीय विजली से बचाव हेतु प्रावधान किया जावें एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जावें।</p> <p>06. भवन विनियम-2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें।</p> <p>07. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें, इस आशय का शपथ पत्र लिया जावें।</p> <p>08. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम-2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जावें।</p> <p>09. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति ली जावें।</p> <p>10. नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्य स्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।</p> <p>11. नियमानुसार अन्य समस्त देय शुल्क लिये जावें। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त भवन निर्माण रवीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।</p>
4.	जोन-4	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 667, 668, 670, 671, 673 से 677 आवासीय ग्रुपहाउसिंग	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन संशोधित भवन


	<p>प्रयोजनार्थ भूखण्ड के उपविभाजित भूखण्ड क्षेत्रफल 26000.00 वर्गमीटर का संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- मै. आदिनाथ बिल्डवेल प्रा.लि जरिये पीयुष डोशी</p> <p>भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 05/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023</p>	<p>मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया -</p> <p>01. भवन निर्माण अनुज्ञा अवधि पूर्व में जारी निर्माण स्वीकृति दिनांक 15.02.2023 अनुसार ही रहेंगी।</p> <p>02. बी.पी.सी बी.पी बैठक दिनांक 07.06.2022 में उल्लेखित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी।</p> <p>03. नियमानुसार अन्य रागरत देय शुल्क लिये जावें। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।</p>
--	--	--

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
 10/07/2023  
 उप नगर नियोजक (द्वितीय) एवं सदस्य सचिव  
 भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

क्रमांक: एफ.37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/404-409. दिनांक:- 10/07/2023

- प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
  4. उपायुक्त (जोन-1, जोन-4), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि बैठक कार्यवाही विवरण को जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


  
 10/07/2023  
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)  
 एवं सदस्य सचिव  
 भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)



परिशिष्ट-“1”

जोन-1, 4 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 05/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।                   | अध्यक्ष    |
| 2. श्री जयनारायण मीना, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।                        | सदस्य      |
| 3. श्री सुभाष चन्द शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।          | सदस्य      |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य      |
| 5. श्रीमती मृदुला शेखावत उपायुक्त (जोन-1) जो.वि.प्रा. जोधपुर            | सदस्य      |
| 6. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन-4) जो.वि.प्रा. जोधपुर          | सदस्य      |
| 7. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।              | सदस्य सचिव |
| 8. श्री सौरभ गहलोत, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।               |            |
| 9. प्रियंका चौपड़ा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।               |            |

  
10/07/2023  
उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)